तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 49/2025	नंबर व तारीख जो इस हुक्म की ...मिल में जारी हुए
15—9—2025	पत्रावली पेश हुई। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनजेर, मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील— पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही, स्थाई पताः ग्राम कासीन्द्रा, पोस्ट— अचपुरा, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25—4—2025 को मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील— पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही में प्रतिवादी अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल, निवासी— कासीन्द्रा, तहसील— पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अरणेश) का नमूना संख्या S-2626 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./509/Act/2025/509 दिनांक 14—5—2025 में अमानक (sub-standard) & Contravense Regulation No.2.3.7(2) FSSR 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 58 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी ने प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 09—9—2025 को उपस्थित होकर लिखित जबाव प्रस्तुत किया। प्रतिवादी को दिनांक 09—9—2025 को ही सुना गया, जिन्होनें जबाव में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा एक ही फर्म पर जानबूझकर परेशान करने की नियत से एक ही दिन में घी के 2 सैम्पल व एक दूध का सैम्पल लिया गया था जो कि परेशान करने की बदनियती से लिया गया था। विगत 12—13 साल से प्रार्थी के द्वारा गिर गाय का पालन किया जा रहा है। आज दिन तक किसी प्रकार से कोई मिलावट या बाहरी खाद्य पदार्थो का उपयोग नही किया गया है। उक्त डेयरी फार्म के द्वारा पूर्व में भी भारत की प्रतिष्ठित एन.डी.आर.ए करनाल हरियाणा के द्वारा घी का सेम्पल टेस्ट करवाया गया था जिसका परिणाम नेगेटीव आया हुआ है। साथ ही गुजरात लेब्रोटरी से घी का सेम्पल टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो साथ में संलग्न है। यह कि फर्म ब्राण्डेड है, भारत सरकार व राजस्थार के नोर्मस् फुल फिल करता है इसके बावजूद भी इस प्रकार की रिपोर्ट जो कि मानक स्तर से हल्का ऐरर दर्शाता है अर्थात् 7.5 प्रतिशत फेट नोमस के अनुमार सही पाया गया है जबकि इसमे सब स्टैण्डर्ड बता कर प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है फिर भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरुप प्रार्थी परेशान बार बार न हो इस हेतु कम से कम राशि की शास्ति लगाकर मुझे इस मुकदमे से मुक्त करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 25—4—2025 को समय 2—40 पी.एम. पर ....लगातार	

पीठ. विशेष अधिकारी
सिरोही—307001

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 49/2025	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से श्री अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल, निवासी– कासीन्द्रा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा के निरीक्षण के दौरान मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म में एक कार्टून में खाद्य पदार्थ घी (अरणेश ब्राण्ड) के 12 पैक पैकेट/डिब्बे (प्रत्येक एक लीटर) आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए पाये, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु लेने हेतु इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री कमलेश कुमार आर्य, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता अमर सिंह देवल को भरकर दी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा में एक कार्टून में रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अरणेश) के 12 पैक पैकेट/डिब्बों (प्रत्येक एक लीटर) में से खाद्य पदार्थ घी (अरणेश ब्राण्ड) का एक लीटर का 01 (एक) पैक पैकेट/डिब्बे को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 630/– (अक्षरे रुपये छः सौ तीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने गवाह एवं प्रतिवादी अमर सिंह देवल को चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक के डिब्बे दिखाकर खरीद शुदा घी (ब्राण्ड अरणेश) के एक लीटर के पैक पैकेट/डिब्बे को खोलकर उसमें मौजूद घी को हिला मिलाकर उक्त चार साफ, सूखी, खाली डिब्बों में बराबर बराबर मात्रा में भरा और इन चारों डिब्बों को अलग अलग ढक्कर लगाकर एरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2626, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अरणेश) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (ब्राण्ड अरणेश) की चारों नमूना डिब्बों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा खरीदशुदा चारों नमूना बोतलों/नमूनों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रम संख्या S-2626 को उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर चारों नमूना भागों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप कोड एवं क्रम संख्या S-2626 गोंद से चिपकाकर चारों नमूनों भागों को मोटे धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी से सील मोहर किया तथा चारों नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता अमर सिंह देवल व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ घी (अरणेश ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता अमर सिंह देवल व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार ....लगातार	

अति. सिविल न्यायाधीश
सिरोही–307001.

न्यायालय सिविल न्यायाधीश जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 49/2025	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28–4–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 25–4–2025 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता अमर सिंह देवल से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अरणेश) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ब्रण्ड अरणेश) के नमूना संख्या S-2626 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./509/Act/2025/509 दिनांक 14–5–2025 में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अरणेश) का नमूना अमानक (sub-standard) & Contravense Regulation No.2.3.7(2) FSSR 2011 पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल, मैनेजर एवं विक्रेता, मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही ने अमानक (sub-standard) & Contravense Regulation No.2.3.7(2) FSSR 2011, खाद्य पदार्थ घी (अरणेश ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 के तहत अमानक (sub-standard) & Contravense Regulation No.2.3.7(2) of FSSR 2011, खाद्य पदार्थ घी (अरणेश ब्राण्ड) (नमूना संख्या S-2626) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रेता अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल, निवासी– कासीन्द्रा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल, निवासी– कासीन्द्रा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 28–10–.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)